// प्रेस विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा दिनांक 7 एवं 8 जून, 2009 को प्री इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी टेस्ट (पी.ई.पी.टी.)-2009 आयोजित की जा रही है । यह परीक्षा दिनांक 7 जून को दो सत्र में एवं दिनांक 8 जून, 2009 को एक सत्र में आयोजित होना है । इस परीक्षा के कुछ आवेदन पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त हुए हैं । निरस्त किए गए आवेदन पत्रों के बारे में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

1. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10.05.2009 (रविवार) सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 11.05.2009 तक रजिस्टर्ड एवं स्पीड पोस्ट से स्पीड पोस्ट कार्यालय या डाक विभाग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया है ।

2. अन्य विभिन्न निम्नलिखित कारणों से निरस्त किए गए आवेदन पत्रों को मण्डल द्वारा प्रावधानिक टी.ए.सी. मण्डल की वेबसाईड www.vyapam.nic.in पर अपलोड किये जा रहा हैं, जिसमें उनके आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का कारण भी अंकित होगा एवं कमी की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रोफार्मा उपलब्ध रहेगा:-

   (अ) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में -
      (i) श्रेणी की जानकारी रिक्त होने पर ।
      (ii) वर्ग की जानकारी रिक्त होने पर ।
      (iii) लिंग की जानकारी रिक्त होने पर ।
      (iv) मूल निवासी की जानकारी रिक्त होने पर ।
      (v) जन्म तिथि की जानकारी रिक्त होने पर ।

   (ब) फोटोस्लिप में फोटो चस्पा न होने पर ।

   (स) फोटोस्लिप में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर न होने पर ।

   (द) जन्मतिथि तार्किक रूप से गलत होने पर ।

   (त) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए क्रय किया गया आवेदन पत्र अनारक्षित/ओ.बी.सी. के आवेदकों के लिये उपयोग में लाने पर ।

   (थ) आवेदन पत्र में स्टार '*' पर अंकित जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने पर।

3. आवेदक को अपने आवेदन पर की गई त्रुटि की पूर्ति हेतु संबंधित जानकारी परीक्षा शहर के आवंटित को-ऑर्डिनेटिंग परीक्षा केन्द्र पर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नाम से रु. 100/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निर्धारित प्रोफार्मा, जो कि मण्डल की वेबसाईट पर रहेगा, उपलब्ध कराने पर ही उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी । आवेदक द्वारा परीक्षा दिनांक को भी चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त मानी जावेगी ।

4. यह प्रक्रिया पी.ई.पी.टी.-2009 एवं आगामी सभी परीक्षाओं में लागू रहेगा ।